

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

उनवान

दिपेन्द्र यादव आदि

ब-ना-म

छगन सिंह आदि

दावा बाबत खाता विभाजन

मुकदमा नम्बर :- 109 / 2023

निर्णय दिनांक :- 16-05-2024

वादीगण की ओर से श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट की व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री पाबूदान सिंह निर्वाण एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16-05-2024 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

“अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11-03-2024 (प्रदर्श-“अ-1 से अ-6” व “ब”) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11-03-2024 (प्रदर्श-“अ-1 से अ-6” व “ब”) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। विभाजन में वादग्रस्त भूमि में मृतका कैलाश बाई पुत्री सवाई सिंह का नाम ही रखा जावे। विरासत नामांतरकरण के पश्चात् ही भूमि प्रतिवादी सं. 5 लगायत 8 के नाम स्थानान्तरित की जावे।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



( सविता शर्मा )  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

